तारः जलयन्ता खीरी फोन नं0 263262 (कार्या.)

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम–भन्सरिया, पो0–उदयपुर, लखीमपुर–खीरी (उ0प्र0) 262701

पत्रांक 01 / CAMP-LAKHIMPUR / 01 दिनांकः– 10 / 05 / 2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखीमपुर खीरी।

विषयः– दैनिक भास्कर सामाचार पत्र में दिनांक 09.05.2026 को प्रकाशित खबर "पानी नहीं मिलने से लोग नाराज, ग्रामीण बूंद–बूंद को तरसे" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 09.05.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन" मोहम्मदी में पानी नहीं मिलने से लोग नाराज, ग्रामीण बूंद–बूंद को तरसे" खबर प्रकाशित हुई है उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर में कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप–942 नग, पम्प हाउस – 942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय–922 नग, गृह जल संयोजन–564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप–939 नग, पम्पहाउस–869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय–484 नग, गृह जल संयोजन–532669 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1017 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

सामाचार पत्र खबर का संज्ञान लेते हुये योजना का निरीक्षण जूनियर इंजीनियर श्री मनीष मौर्य द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि योजना की मेन पाइप लाइन में लीकेज हो जाने कारण 3 दिवस से जलापूर्ति बाधित थी। पाइपलाइन की लीकेज मरम्मत कराने के निर्देश कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० को दे दिये गये है जिसे 2 दिवस में मरम्मत कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता।

पृ०सं० एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मो० जमाल (डी०पी०एम०), मै० एन०सी०सी० लि०, लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निरीक्षण के दौरान अवगत करायी गयी योजना की कमियों को गुणवत्तपूर्वक पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता।